

प्रारूप (ख)
देखिए नियम 9(3) (4) और (6)

कार्यालय, विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी चौमूं जिला जयपुर
क्रमांक आ.ए./रूपा0/20/76

दिनांक 15/7/2020

संपरिवर्तन आदेश

रामेश्वरप्रसाद मेमोरियल शिक्षा समिति कालू का बास के आवेदन पर उसकी खातेदारी अभिवृत्ति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए इसके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम पिता/पति का नाम सहित पूरा पता	रामेश्वरप्रसाद मेमोरियल शिक्षा समिति कालू का बास।
2	क्या आवेदक अनु० जाति / अनु० जनजाति का सदस्य है	नहीं
3	संपरिवर्तित भूमि का ब्योरा (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील (ख) भूमि का खसरा संख्या एवं प्रत्येक ख० सं० का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	तिगरिया, तिगरिया, चौमूं। ख० न० 4545/2379 रकबा 0.6632 है० में से 0.6204 है०, ख० न० 4547/2380 रकबा 0.0188 है० में से 0.0166 है० किता-02 कुल रकबा 0.6370 है०।
	(ग) प्रत्येक ख० सं० के क्षेत्रफल को समदर्शित करते हुए संपरिवर्तित क्षेत्रफल (है० या वर्गमीटर में) टिप्पणी :- अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि को दर्शाते हुए राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यक् रूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	ख० न० 4545/2379 रकबा 0.6632 है० में से 0.6204 है०, ख० न० 4547/2380 रकबा 0.0188 है० में से 0.0166 है० किता-02 कुल रकबा 0.6370 है०। अर्थात् (6370 वर्गमी०)
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थानिक (शैक्षणिक) प्रयोजनार्थ
5	संदेय प्रीमीयम की दर	23.52/- प्र० वर्गमी०
6	चालान संख्या, तारीख सहित प्रीमीयम की राशि	चान. 404 (GRN 37369498) दिनांक 03.02.2020 जमा दिनांक 03.02.2020 से रु० 35,000/- 76 (GRN 40829010) दिनांक 14.07.2020 जमा दिनांक 14.07. 2020 से रु० 173811/- कुल रु० 208811/-
7	चालान संख्या, तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	—
8	चालान संख्या, तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो, जमा कराई गई रकम	—
9	क्या आदेश नियमितकरण के लिए नियम 13 के अधीन जारी किया है	—
	क्या कोई विशिष्टियां यदि कोई हो	1. ख० न० 4546/2380 रकबा 0.0012 है०, ख० न० 4544/2379 रकबा 0.0168 है० भूमि किस्म गै० मु० रास्ता आवेदक के द्वारा निःशुल्क राजहित में रास्ते के लिये समर्पित की गई है। 2. ख० न० 4547/2380 रकबा 0.0022 है०, ख० न० 4545/2379 रकबा 0.0428 है० किता-2 कुल रकबा 0.0450 है० भूमि इंडियन रोड कांग्रेस से प्रभावित होने से रूपान्तरण नहीं किया गया है।



उप-खण्ड अधिकारी

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर जिला-जयपुर

11 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन होगा :-

1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से निर्धारित कालावधि 5 वर्ष के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी एवं आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमीयम धन समपहृत हो जायेगा।
3. नियम 4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
4. लोकापयोगी प्रयोजन के लिए संपरिवर्तित भूमि के किसी अन्य भाग का अन्य किसी प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी के विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
5. राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग/अन्य सड़क जहां से संपरिवर्तित भूमि पर पहुंच है उसके पास स्थित भूमि का इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार सड़क के मध्य से छोड़ी गई भूमि का अकृषि उपयोग नहीं किया जायेगा।
6. आवेदित भूमि ख0न0 4547/2380 रकबा 0.0022 है0, ख0न0 4545/2379 रकबा 0.0428 है0 कित्ता- 2 कुल रकबा 0.0450 है0 भूमि इंडियन रोड कांग्रेस से प्रभावित भूमि का उपयोग केवल मात्र पहुंच मार्ग में लिया जा सकेगा। उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण कार्य व अकृषि उपयोग में नहीं किया जा सकेगा। उक्त भूमि मार्ग अधिकार के काम में आयेगी।
7. आवेदक को जिला स्तरीय समिति से बिल्डिंग प्लान अनुमोदन करवाना होगा।
8. राजस्व विभाग के परिपत्र क्रमांक प0 6 (6) राज-6/92/पार्ट/23 दिनांक 17.07.2007 की पालना सुनिश्चित की जावेगी।
9. राजस्थान भूराजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम 2007 एवं इस सम्बन्ध में जारी अन्य परिपत्रों/निर्देशों की सभी शर्तें लागू होंगी।

विहित प्राधिकारी की मोहर



प्रतिलिपि :-

क्रमांक सम/20/77 - 80

(हिममत सिंह)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर
चौमू जिला-जयपुर

दिनांक 15/6/2020

1. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय (राजस्व) जयपुर।
2. तहसीलदार तहसील चौमू।
3. ग्राम पंचायत तिगरिया पंचायत समिति गोविन्दगढ़ जिला जयपुर।
4. आवेदक रामेश्वरप्रसाद मेमोरियल शिक्षा समिति कालू का बास ।



(हिममत सिंह)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी चौमू जिला जयपुर
चौमू जिला-जयपुर